

**दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए  
क्षेत्रीय व्यापार समझौता**

**1703. श्री सुशील कुमार सिंह:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) भारत की देशों/क्षेत्रों के साथ वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) की श्रेणी-वार सही संख्या कितनी है;
- (ख) भारत का वर्तमान में कितने देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है;
- (ग) क्या जिन देशों के साथ भारत का आरटीएस है, उन देशों के माध्यम से माल को फिर से भेजने के उदाहरण हैं;
- (घ) यदि हां, तो मंत्रालय इस मुद्दे से किस तरह निपट रहा है; और
- (ङ) पिछले पांच वर्षों में आरटीएस के माध्यम से किए गए व्यापार का वर्ष-वार सही मौद्रिक मूल्य क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) और (ख): भारत के वर्तमान में अन्य देशों/क्षेत्रों के साथ 11 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)/क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) हैं। इसके अलावा, इसमें 6 सीमित कवरेज अधिमानी व्यापार समझौते (पीटीए) हैं। विवरण निम्न प्रकार हैं:

**(i) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)**

क्र.सं.	समझौते का नाम
1	भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)
2	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता (साफ्टा)
3	भारत-नेपाल व्यापार संधि
4	व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता
5	भारत-थाईलैंड एफटीए - अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस)
6	भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)
7	भारत-आसियान एफटीए
8	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

क्र.सं.	समझौते का नाम
9	भारत-जापान सीईपीए
10	भारत-मलेशिया सीईसीए
11	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)

(ii) अधिमानी व्यापार समझौते (पीटीए)

क्र.सं.	समझौते का नाम
1	एशिया पेशेफिक व्यापार समझौता (एपीटीए)
2	व्यापार अधिमान की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)
3	सार्क अधिमानी व्यापार समझौता (साप्टा)
4	भारत-अफगानिस्तान पीटीए
5	भारत - मर्कोसुर पीटीए
6	भारत - चिली पीटीए

(ग) और (घ): जिन देशों के साथ भारत के एफटीए/आरटीए हैं, उन देशों के माध्यम से माल के मार्ग बदलने के कुछ उदाहरण सामने आए हैं। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, सरकार ने विभिन्न एफटीए के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के पूरक के लिए 21 सितंबर, 2020 से प्रभावी सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 (सीएआरओटीएआर, 2020) जारी किया है। ये नियम आयातकों पर यह सुनिश्चित करने के लिए सम्यक तत्परता करने की जिम्मेदारी भी डालते हैं कि माल, उत्पत्ति के निर्धारित नियमों को पूरा करता है। नए प्रस्तुत किए गए प्रावधान व्यापार समझौतों के दुरुपयोग के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, एफटीए प्रावधानों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए सरकारी विभागों, व्यापार और उद्योग निकायों के प्रतिनिधित्व के साथ एक एफटीए निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(ड.) पिछले पांच वर्षों में एफटीए/आरटीए भागीदार देशों के साथ भारत के व्यापार का मूल्य नीचे दिया गया है:

(आंकड़े अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

निर्यात/आयात	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भारत का निर्यात	59152.29	67576.95	73550.13	63515.49	63105.49
भारत का आयात	65789.08	77692.17	93287.57	87327.72	74538.07

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

-----

**दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए**  
**गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस**

1708. श्री जी. सेल्वम:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

श्री धनुष एम. कुमार:

श्री गौतम सिगामणि पोन:

श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ई-मार्केटप्लेस ने हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का आयोजन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है एवं सम्मेलन के परिणाम क्या रहे हैं;

(घ) क्या जीईएम पारदर्शी और कुशल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सीधी खरीद, बोली और रिवर्स नीलामी के लिए साधन प्रदान करता है;

(ङ) यदि हां, तो आज की तारीख तक प्रत्यक्ष खरीद, बोली और रिवर्स नीलामी का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा अपने सभी विभागों के लिए देश में ई-मार्केट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) जेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न सरकारी खरीदारों के लिए ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। बहु प्रापण साधनों, स्वचालित बाजार समायोजन के लिए अंतर्निहित नीतियां और जीवंत क्रेता-विक्रेता संव्यवहार को सक्षम बनाने के लिए आयोपान्त डिजिटल प्रक्रियाओं के साथ; जेम तेजी से एक पारदर्शी, कुशल और समावेशी प्लेटफार्म के रूप में उभरा है, जिसमें एमएसएमई का जेम के संचयी सकल पण्यवस्तु मूल्य में 56 प्रतिशत से अधिक योगदान है। जेम की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख अनुबंध-क में किया गया है।

(ख): जी हाँ ।

(ग) दो दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण कॉन्क्लेव [एनपीपीसी] 2021 के 5वें संस्करण का उदघाटन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा 9 अगस्त, 2021 को वर्चुअल सी II-एचआईवीईएस प्लेटफार्म के माध्यम से किया गया। दो दिवसीय सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-ख में दी गई हैं।

(घ) जी हाँ ।

(ङ.) तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य सहित विवरण अनुबंध-ग में उल्लिखित हैं।

(च) भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के नियम 149 में संशोधन किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को अनिवार्य रूप से जीईएम के माध्यम से प्रापण किया जाना चाहिए। विवरण अनुबंध-घ में उल्लिखित हैं ।

जेम की कुछ मुख्य विशेषताएं

- (क) अलग-अलग श्रेणी की वस्तुओं/सेवाओं के लिए उत्पादों की समृद्ध सूची
- (ख) जीएफआर प्रावधानों के अनुरूप आईएनआर 25000 तक की राशि के लिए सीधी खरीद
- (ग) जीएफआर प्रावधानों के अनुरूप आईएनआर 25000 से अधिक और आईएनआर R 5 लाख से कम राशि के लिए एल 1 खरीदारी
- (घ) खरीद के लिए बोली लगाने और रिवर्स नीलामी की सुविधा
- (ङ.) स्क्रेप आदि की बिक्री के लिए फॉरवर्ड ऑक्शन की सुविधा
- (च) मालिकाना लेख प्रमाणपत्र बोली- आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उत्पाद की खरीद के अनुसार
- (छ) बहु आपूर्तिकर्ताओं से मूल्य प्रवृत्ति और मूल्य तुलना
- (ज) विक्रेताओं को सीधी सूचनाएं
- (झ) एकीकृत भुगतान प्रणाली
- (ञ) खोज, तुलना, चयन और खरीदने के लिए इंटरफ़ेस
- (ट) संपूर्ण खरीद चक्र की निगरानी के लिए क्रेता और विक्रेताओं के लिए डैशबोर्ड
- (ठ) त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन इनसिडेंट और शिकायत निवारण तंत्र
- (ड)व्यक्तिगत विवरण के प्रमाणीकरण के लिए जीएसटीएन, यूआईडीएआई, पैन, एमसीए, उद्यम पोर्टल, बैंकों जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ एकीकरण
- (ढ) विक्रेता या क्रेता के रूप में पंजीकृत होने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं
- (ण) स्टार्टअप, एमएसएमई और एम्पोरियम उत्पादों के लिए विशेष प्रावधान और अनुभाग
- (त) पूरी तरह से ऑनलाइन, सुरक्षित, कागज रहित और संपर्क रहित प्लेटफार्म
- (थ) विक्रेताओं के लिए बोलियों/रिवर्स नीलामी में भाग लेने के लिए आसान पहुंच
- (द) खरीदारों और विक्रेताओं की रेटिंग के लिए प्रणाली
- (ध) बाजार की स्थितियों के आधार पर गतिशील मूल्य निर्धारण
- (न) सरकारी विभागों और उनके संगठनों तक सीधी पहुंच

राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद कॉन्क्लेव 2021 की मुख्य विशेषताएं

(क) कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक खरीद में जेम की भूमिका, सार्वजनिक खरीद में रक्षा रेलवे और सीपीएसई के लिए संभावना और चुनौतियां, और महिलाओं और आदिवासी उद्यमियों एमएसई,स्टार्टअप,कारीगर,बनुकर,दिव्यांगजन और हुनरहाट शिल्पकार जैसे कम सेवित समूहों के लिए विस्तार पर पर वर्चुअल पैनल चर्चा सत्र आयोजित किए गए थे। 10197 भागीदारों ने कॉन्क्लेव में वर्चुअली भाग लिया ।

(ख) जेम क्रेता और विक्रेताओं के बीच 986 वर्चुअल बी2बी और बी2जी बैठकें आयोजित की गईं,

(ग) मौके पर ही प्रश्नों का समाधान करने और विक्रेताओं और क्रेता के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वर्चुअल जीईएम स्टाल स्थापित किया गया ।

घ) 30 दिनों के लिए विक्रेताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की 72 डिजिटल प्रदर्शनियां आयोजित की गईं

(ड) कॉन्क्लेव का समापन एक पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जिसमें शीर्ष 2 प्रदर्शन करने वाले क्रेता और विक्रेताओं को उनके ऑर्डर की मात्रा और मूल्य के आधार पर 2020-21 में जेम पर उनके खरीद प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए मान्यता दी गई और सम्मानित किया गया।

आज की तारीख के अनुसार जेम पर सीधी खरीद, बोली और रिवर्स नीलामी का राज्यवार विवरण

समय	
खरीद मोड	ऑर्डर मूल्य
सीधी खरीद	3,77,41,99,85,707
बिडिंग	8,35,05,58,53,654
रिवर्स नीलामी	1,94,80,06,97,568

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
क्र.सं.	राज्य	ऑर्डर मूल्य रूप में (बीआईडी)	ऑर्डर मूल्य रूप में (आए)	ऑर्डर मूल्य रूप में (प्रत्यक्ष)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1,65,93,76,801	16,79,32,923	53,88,53,204
2	आंध्र प्रदेश	9,38,89,49,830	80,27,69,837	2,35,50,00,749
3	अरुणाचल प्रदेश	91,91,86,415	18,11,74,308	63,51,37,485
4	असम	4,52,97,48,108	36,57,44,333	1,07,54,00,980
5	बिहार	11,59,10,56,949	9,88,49,37,241	3,95,03,75,962
6	चंडीगढ़	11,47,07,95,538	61,55,14,674	1,62,10,16,552
7	छत्तीसगढ़	7,26,81,41,601	41,99,40,262	10,54,31,87,951
8	दादर और नगर हवेली	4,03,38,779	3,98,306	24,48,20,096
9	दमन और दीव	20,16,71,571	48,48,140	46,58,10,137
10	दिल्ली	23,07,83,66,972	1,98,54,95,393	15,11,13,96,208
11	गोवा	14,73,42,202	2,07,31,413	24,80,60,788
12	गुजरात	29,87,00,53,638	16,64,12,99,023	14,07,46,47,862
13	हरियाणा	5,27,49,42,500	82,78,64,286	4,12,06,45,512
14	हिमाचल प्रदेश	1,52,82,34,087	54,70,05,698	2,15,38,72,208
15	जम्मू और कश्मीर	5,80,50,00,958	2,81,10,15,917	8,97,40,14,279
16	झारखंड	4,94,57,19,992	1,00,29,14,081	4,46,41,77,605
17	कर्नाटक	6,80,11,75,148	73,70,80,521	3,87,91,36,721
18	केरल	3,46,14,67,606	10,51,63,558	2,69,51,24,896
19	लद्दाख	70,54,23,142	64,84,217	31,79,27,932
20	लक्षद्वीप	13,57,17,069	-	16,72,85,688
21	मध्य प्रदेश	22,12,93,36,820	4,12,71,49,687	19,62,55,36,416
22	महाराष्ट्र	24,81,09,58,196	3,15,06,69,487	8,03,96,64,350
23	मणिपुर	1,42,12,85,163	18,63,740	37,64,42,152
24	मेघालय	25,35,24,722	50,48,872	5,92,82,562
25	मिजोरम	7,64,69,448	3,71,047	7,41,41,707
26	नगालैंड	14,81,50,796	57,47,742	18,33,81,871
27	ओडिशा	11,36,25,86,052	3,48,50,17,726	3,83,78,97,051
28	पुदुचेरी	82,65,44,179	3,96,17,404	17,28,90,211
29	पंजाब	7,49,30,92,935	4,92,44,61,083	3,04,49,59,018
30	राजस्थान	5,83,46,62,138	29,71,44,968	3,09,40,42,450
31	सिक्किम	5,01,20,231	1,29,992	22,03,87,817
32	तमिलनाडु	3,58,05,50,827	20,13,84,187	4,12,39,82,462
33	तेलंगाना	2,16,13,21,070	9,73,60,149	4,70,09,65,457
34	त्रिपुरा	1,08,61,86,860	11,33,95,509	53,03,89,247
35	उत्तर प्रदेश	95,48,07,05,322	7,36,32,28,079	50,45,54,96,637
36	उत्तराखंड	2,84,82,46,586	13,87,13,610	2,83,82,15,116
37	पश्चिम बंगाल	4,34,61,84,674	81,00,27,979	1,10,53,64,567

1. जीएफआर के अनुसार, जीईएम पोर्टल का उपयोग सरकारी क्रेता द्वारा सीधे ऑनलाइन खरीद के लिए किया जाएगा: -

(i) रु. 25,000/- रूपए तक आवश्यक गुणवत्ता, विनिर्देशन और वितरण अवधि को पूरा करने वाले, जेम पर किसी भी उपलब्ध आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ।

(ii) 25,000/- रूपए से अधिक और 5,00,000/- रूपए तक, अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देशन और सुपुदगी अवधि को पूरा करने वाले जेम पर उपलब्ध कम से कम तीन विभिन्न विनिर्माताओं में से सबसे कम कीमत (ऑटोमोबाइल को छोड़कर जहां 30 लाख रूपए की वर्तमान सीमा जारी रहेगी) वाले जेम विक्रेता के माध्यम से । खरीददारों द्वारा जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के टूल का उपयोग 5,00,000 रूपए से कम की खरीद के लिए भी किया जा सकता है ।

(iii) 5,00,000 रूपए से अधिक, जेम पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन बोली या रिवर्स ऑक्शन टूल (ऑटोमोबाइल को छोड़कर जहां 30 लाख रूपए की वर्तमान सीमा जारी रहेगी), का उपयोग करके अनिवार्य रूप से बोलियां प्राप्त करने के बाद आवश्यक गुणवत्ता, विनिर्देशन और सुपुदगी अवधि को पूरा करने वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ।

2. इसके अलावा, कैबिनेट सचिवालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों ने समय-समय पर सरकारी विभागों, सीपीएसई और अन्य केंद्र सरकार के संगठनों को जीईएम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अधिकतम करने के प्रयास करने की सलाह देते हुए कई निर्देश जारी किए हैं। .

3. सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश भी खरीद करने के लिए जेम पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। सिक्किम को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक खुले और पारदर्शी खरीद मंच के माध्यम से खरीद में आसानी के संदर्भ में होने वाले अपार लाभों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध खरीद के लिए जेम के साथ समझौता ज्ञापनों को क्रियान्वित किया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**चाय बागान श्रमिकों का कल्याण**

**1754. श्री राजू विष्ट:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) भारतीय चाय बोर्ड द्वारा चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा उत्तर बंगाल क्षेत्र के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले पांच वर्षों में भारतीय चाय बोर्ड के माध्यम से उत्तर बंगाल क्षेत्र के चाय बागानों को प्रदत्त राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उत्तर बंगाल के चाय बागानों को राजसहायता जारी करने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क):** चाय बोर्ड ने 2017-18 से 2019-20 तक मध्यम अवधि की रूपरेखा अवधि के दौरान "चाय विकास और संवर्धन स्कीम" के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के तहत कतिपय कल्याणकारी गतिविधियों को लागू किया है और इसे 2020-21 तक बढ़ाया गया है, जिनका उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में सुधार और उत्पादकों/श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

15 वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान चाय बोर्ड द्वारा "चाय विकास और संवर्धन स्कीम" को लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें छोटे चाय उत्पादकों और उनके श्रमिकों के कल्याण के लिए एक घटक है।

**(ख):** पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष [2016-17 से 2021-22 (नवंबर, 21 तक)] के दौरान उत्तर बंगाल में चाय बागान श्रमिकों और उनके बच्चों/आश्रितों के कल्याण के लिए एचआरडी घटक के तहत चाय बोर्ड द्वारा 9.04 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ।

**(ग) और (घ):** चाय बोर्ड बजट प्रावधानों के अनुसार पात्र चाय हितधारकों को सब्सिडी का संवितरण करता है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष [2016-17 से 2021-22 (नवंबर, 21 तक)] के दौरान चाय बोर्ड द्वारा उत्तर बंगाल के चाय बागानों को "चाय विकास और संवर्धन स्कीम" के तहत 117.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

**दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**प्राकृतिक रबर का उत्पादन**

**1772. श्री जगदम्बिका पाल:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) विगत चार वर्षों में भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत चार वर्षों में भारत में प्राकृतिक रबर के निर्यात और आयात के रुझान क्या हैं और भारत में प्राकृतिक रबर के बाजार के आकार का अनुमान क्या है;
- (ग) क्या आने वाले वर्षों में प्राकृतिक रबर के बाजार में वृद्धि होने की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत में रबर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस वर्ष भारी वर्षा के कारण भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारी गिरावट आने की संभावना है;
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रबर के आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और
- (च) क्या सरकार का भारी बारिश के कारण प्राकृतिक रबर के कम उत्पादन के इस मुद्दे से निपटने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) पिछले चार वर्षों के लिए वर्ष-वार भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन का राज्य-वार विवरण निम्नवत है:

प्राकृतिक रबर का राज्यवार उत्पादन (टन)				
राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केरल	540775	492500	533500	519500
तमिलनाडु	21110	21500	21600	19710
त्रिपुरा	50500	52300	61950	73780
असम	23300	25200	30350	34130
मेघालय	9050	9300	9350	9540
कर्नाटक	38300	38900	41550	43860
अन्य राज्य	10965	11300	13700	14480
कुल	694000	651000	712000	715000

(स्रोत: रबर बोर्ड)

(ख) पिछले चार वर्षों के लिए भारत के प्राकृतिक रबर के निर्यात और आयात की प्रवृत्ति और उद्योग के बाजार आकार का अनुमान (प्राकृतिक रबर की खपत से संकेतित) निम्नवत है:

प्राकृतिक रबर का निर्यात, आयात और खपत (टन)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
निर्यात	5072	4551	12872	11343
आयात	469760	582351	457223	410478
उपभोग	1112210	1211940	1134120	1096410

(स्रोत: रबर बोर्ड)

(ग) आने वाले वर्षों में प्राकृतिक रबर के बाजार के बढ़ने की प्रत्याशा है। वर्ष 2021-22 के लिए प्राकृतिक रबर की प्रत्याशित खपत 12,40,000 टन है। रबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता टायर क्षेत्र है। विवरण निम्नवत है:

प्राकृतिक रबर की खपत (टन)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
टायर	772162	864022	756265	780588
गैर टायर	340048	347918	377855	315822
कुल	1112210	1211940	1134120	1096410

(स्रोत: रबर बोर्ड)

(घ), से (च) तक: इस वर्ष भारी बारिश के कारण प्राकृतिक रबर के उत्पादन में कोई भारी कमी की परिकल्पना नहीं की गई है।

तथापि, अग्रसक्रिय पहल के तौर पर सरकार वर्षा के दिनों में निर्बाध निकासी के लिए रबर बागानों में वर्षा-रक्षण को रबर बोर्ड के माध्यम से बढ़ावा दे रही है।

2021-22 के दौरान प्राकृतिक रबर का आयात 420,000 टन प्रक्षिप्त किया गया है ।

\*\*\*\*\*

**दिनांक 08 दिसंबर.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए**  
**चिकित्सा उपकरणों का निर्यात**

1789. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोविड अवधि के दौरान देश से चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के निर्यात में वृद्धि दर्ज हुई है; और

(ख) पूर्व-कोविड अवधि के दौरान होने वाले निर्यात की तुलना में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है और इन निर्यात से देश में कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) और (ख): जी हां। चिकित्सा उपकरणों और औषध के निर्यात में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष (2019-20) की तुलना में कोविड अवधि (अर्थात् 2020-21) के दौरान क्रमशः 10 प्रतिशत और 18.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई:

भारत के चिकित्सा उपकरण और औषध निर्यात (मिलियन अम.डॉ. में)			
श्रेणी	2019-20	2020-21	वृद्धि
चिकित्सा उपकरण (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इंप्लांट्स, आईवीडी अभिकर्मक, सर्जिकल उपकरण)	2292.87	2532.16	10%
औषध (आयुष और हर्बल्स, बल्क ड्रग्स एवं ड्रग इंटरमीडिएट्स, ड्रग फॉर्म्युलेशन एवं बायोलॉजिकल्स, सर्जिकल्स)	20703.46	24469.23	18.19%

दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए  
भूटान के साथ व्यापार

श्री दिनेश चन्द्र यादव

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्या केंद्र सरकार और भूटान सरकार एक समझौते के तहत सात अन्य व्यापार प्रवेश व निर्गम द्वारों को खोलने का विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त सभी द्वार खोले जाने हैं और हमारे देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों को इससे कितना लाभ मिलेगा;
- (ग) क्या चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भूटान के साथ भारत के व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर समझौते के तहत भारत-भूटान सीमा पर प्रवेश और निकास बिंदुओं को खोलने पर द्विपक्षीय सहमति है। हाल ही में, एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान, इन प्रवेश/निकास बिंदुओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार को औपचारिक रूप देने के लिए व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौते के प्रोटोकॉल में निम्नलिखित सात अतिरिक्त प्रवेश/निकास बिंदुओं को शामिल करने के लिए एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे:

- i. नगरकाटा (पश्चिम बंगाल) भूमि सीमा शुल्क स्टेशन वस्तु प्रतिबंध के बगैर
- ii. अगरतला (त्रिपुरा) भूमि सीमा शुल्क स्टेशन एक प्रवेश/निकास बिंदु के रूप में।
- iii. पांडु बंदरगाह (गुवाहाटी स्टीमरघाट, असम) एक प्रवेश/निकास बिंदु के रूप में, धुबरी में सीमा पार नियंत्रण के अधीन।

- iv. जोगीघोपा बंदरगाह (असम) एक प्रवेश/निकास बिंदु के रूप में, धुबरी में सीमा पार नियंत्रण के अधीन।
- v. जयगांव में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के तदनुसूची एक अतिरिक्त मार्ग के रूप में भारत में तोर्शा टी गार्डन (पश्चिम बंगाल) और भूटान में अहले को जोड़ता एशियन हाईवे 48 है।
- vi. कामर्दविसा (असम) एक प्रवेश/निकास बिंदु के रूप में।
- vii. बीरपारा (पश्चिम बंगाल) एक प्रवेश/निकास बिंदु के रूप में।

यह व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर 2016 के भारत-भूटान समझौते के प्रोटोकॉल के लिए एक परिशिष्ट बनाता है और हमारे पारस्परिक लाभ के लिए भारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।

(ग) और (घ): भारत और भूटान के बीच साझा मूल्यों और हितों, विश्वास, आपसी सम्मान और घनिष्ठ समझ पर आधारित मित्रता और सहयोग के अनूठे और अनुकरणीय संबंध हैं। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले सात वर्षों में दोगुने से अधिक हो गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 8 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**निर्यात समाशोधन प्रक्रिया**

**1616. श्री संजय काका पाटील :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए निर्यात समाशोधन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु एक नई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने अंगूर, अन्य फल और सब्जियों जैसे शीघ्रनाशी कृषि उत्पादों के लिए 'नो बॉर्डर सील' के लिए अन्य देशों के साथ वार्ता की है;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई समझौता तैयार करने हेतु कोई निर्णय लिया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) : सरकार आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण और पादप स्वच्छता प्रमाणन के माध्यम से कृषि वस्तुओं के निर्यात की सुविधा प्रदान कर रही है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अंतरराष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन (आईपीपीसी), 1951 के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भूमि सीमाओं पर प्लांट संगरोध विनियमों को लागू करने वाले 73 प्लांट संगरोध स्टेशन हैं। आयातक देशों की उत्पाद-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रीटमेंट प्रदाताओं (एल्यूमीनियम फॉस्फाइड फ्यूमिगेशन/ फोर्ड्स हॉट एयर ट्रीटमेंट, विकिरण, वेपर हीट ट्रीटमेंट और हॉट वाटर इमर्शन ट्रीटमेंट आदि), पैक हाउस, फार्म इकाइयों, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमोदन/प्रत्यायन/पंजीकरण भी प्रदान किया जाता है।

विद्यमान पादप संगरोध सूचना प्रणाली (पीक्यूआईएस) को पादप संगरोध प्रबंधन प्रणाली (पीक्यूएमएस) की एक नई ऑनलाइन प्रणाली में बदला जा रहा है जो आईपीपीसी की ई-फाइटो प्रणाली के साथ एकीकृत होगी और कृषि वस्तुओं के निर्यात की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी।

\*\*\*\*\*

दिनांक 8 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**मंत्रिस्तरीय सम्मेलन**

**1636. श्री राजीव प्रताप रूडी :**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एम.सी.12) में सरकार और विकासशील देशों के लिए प्राथमिकता वाले मुद्दों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को सार्वजनिक शेयरधारिता (स्टॉकहोल्डिंग) के मुद्दे के स्थायी समाधान की उम्मीद है;

(ग) यदि नहीं, तो भारत सहित विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रति किसान 'एम्बर बॉक्स' समर्थन के बीच अंतर के साथ आगे की कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के मत्स्यपालन पर लगातार राजसहायता जारी रखने के लिए 25 साल की अवधि की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विश्वव्यापार संगठन में प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है और गैर-स्वीकृति के मामले में आगे की कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 को होने वाले बारहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी12) को गंभीर महामारी की स्थिति और इसके परिणामस्वरूप संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एमसी12 के लिए, भारत और विकासशील देशों के लिए प्राथमिकता के मुद्दों में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता (स्टॉकहोल्डिंग) का स्थायी समाधान, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते के कतिपय प्रावधानों से अस्थायी छूट और मत्स्य पालन राजसहायता वार्ता शामिल है।

(ख) से (घ): विश्व व्यापार संगठन, जो एक सदस्य संचालित संगठन है, में निर्णय सदस्यों के बीच आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। हमारी प्राथमिकता के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने जी 33 समूह के राष्ट्रों के साथ खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता (स्टॉकहोल्डिंग) के मुद्दे के स्थायी समाधान का प्रस्ताव रखा है और मत्स्य पालन राजसहायता पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे कुछ समरूचि देशों का समर्थन प्राप्त है।

\*\*\*\*

दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक जिला एक उत्पाद

**1653. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार एक जिला – एक उत्पाद (ओडीओपी) के माध्यम से प्रत्येक जिले को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाकर रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
- (ग) क्या मंत्रालय ने ओडीओपी के तहत खूबियों और अवसरों की पहचान की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात में वृद्धि करने हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): वाणिज्य विभाग के "निर्यात हब के रूप में जिला" पहल के अंतर्गत, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सहित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। ओडीओपी के तहत देश के भीतर उत्पादों के विनिर्माण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मोटे तौर पर एक जिले में एक उत्पाद को चिन्हित किया जाता था। "निर्यात हब के रूप में जिला" एक व्यापक पहल है जो देश के सभी जिलों से बहुविध उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को कवर करती है। इसमें राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना शामिल है।

"निर्यात हब के रूप में जिला" के तहत सभी जिलों के उत्पादों और सेवाओं की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श के आधार पर की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से उत्पादों और सेवाओं को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

450 से अधिक जिलों में "निर्यात हब के रूप में जिला" के तहत जिला निर्यात कार्य योजनाएं आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा अवरोधों का विवरण देने और मौजूदा अंतराल को कम करने के लिए संभावित कार्रवाई की पहचान करने के लिए तैयार की गई है। यह स्थानीय निर्यातकों और विनिर्माताओं द्वारा निर्यात के लिए

नए व्यवसायों को सहायता देने और जिलों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए चिन्हित उत्पादों और सेवाओं का निर्बाध रूप से निर्यात करने के लिए अपेक्षित सहायता की रूपरेखा तैयार करती है।

(घ): "निर्यात हब के रूप में जिला" के तहत जिलों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें निर्यातकों के साथ हैंडहोल्डिंग सत्र और विभिन्न संबंधित एजेंसियों/विभागों जैसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), बैंक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), निर्यात संवर्धन परिषद, स्थानीय व्यापार संघ/वाणिज्य मंडल, जिला उद्योग केंद्र आदि के प्रतिनिधियों के साथ निर्यातकों के साथ में निर्यात संबंधी जागरूकता सत्र शामिल है।

सरकार ने भारत में घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए चल रही स्कीमों के अलावा कई कदम उठाए हैं। इनमें नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कॉरपोरेट कर में कमी, एनबीएफसी और बैंकों की नकदी की समस्याओं को कम करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार नीति के उपाय शामिल हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि हेतु स्कीमों के माध्यम से वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया है।

देश में सभी विनियामक अनुमोदनों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप केन्द्र के रूप में परिकल्पना करके नैशनल सिंगल विन्डो सिस्टम (एनएसडब्लूएस) का 22 सितम्बर, 2021 को सॉफ्ट-लांच किया गया। यह राष्ट्रीय पोर्टल भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा निकासी प्रणालियों को मंत्रालयों/विभागों के मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टलों को बिना बाधित किए एकीकृत करता है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 8 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**चाय पार्क**

1691. श्री ए. राजा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में वेयरहाउसिंग सुविधाओं के साथ चाय पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चाय उत्पादन के विकास और विदेशों में प्रीमियम चाय के निर्यात के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : वर्तमान में चाय पार्क की स्थापना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि तमिलनाडु सरकार के तत्वाधान में तमिलनाडु के मेट्रॉपालियम में एक आधुनिक वेयरहाउस स्थापित किया जा रहा है।

(ग) : केन्द्रीय सरकार, चाय बोर्ड के माध्यम से चाय सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, “चाय विकास और संवर्धन स्कीम (टीडीपीएस)” का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ चाय उद्योग के उपजकर्ताओं और अन्य पण-धारकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके चाय उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता उन्नयन, अनुसंधान, निर्यात संवर्धन और मूल्यवर्धन में सुधार के लिए गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रित और सतत् पहल की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेता-विक्रेता बैठकें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चायों का ब्रांड संवर्धन शामिल है।

\*\*\*

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1709

दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**यूएई के साथ वार्ता**

**1709. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या वाणिज्य मंत्री हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे;
- (ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम रहे हैं;
- (ग) क्या सुदृढ निवेश के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई थी;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) अन्य किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई जो दोनों देशों के बीच व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ङ): जी हां, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 1 से 3 अक्टूबर, 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, मंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड एक्सपो 2020, दुबई में इंडियन पवेलियन का उदघाटन किया और महामहिम शेख हामेद बिन जायेद अल नहयान, अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य के साथ 2 अक्टूबर, 2021 को निवेश पर भारत-संयुक्त अरब अमीरात की उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 9वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वाणिज्य और आर्थिक संबंधों के समग्र सप्तक को शामिल करते हुए व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा के साथ बृहत्त संवाद हुआ। दोनों पक्ष सभी बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान तथा आर्थिक विकास की संभावना के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में निवेश को सुगम बनाने के तरीके खोजने पर उच्चतम सरकारी स्तर पर समन्वय और सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। बैठक के समापन के बाद संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में चर्चा किए गए मुद्दों और बैठक के परिणामों का ब्यौरा दिया गया है। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति **अनुबंध** में संलग्न है।

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### निवेश पर भारत-संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 9वीं बैठक

पोस्ट किया गया: 02 अक्टूबर 2021 6:54 अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा

महामहिम शेख हामेद बिन जायेद अल नहयान, अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य, और श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने दुबई में आज निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल ("संयुक्त कार्य बल") की नौवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों देशों के संबंधित सरकारी प्राधिकारियों और विभिन्न निवेश संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

2013 में संयुक्त कार्य बल की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में की गई थी, जिसे जनवरी 2017 में भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी करार पर हस्ताक्षर करके और मजबूत किया गया था।

संयुक्त कार्य बल की इस नौवीं बैठक में, दोनों पक्षों ने वैश्विक व्यापार और निवेश पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को नोट किया और दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के महत्व को दोहराया। दोनों पक्षों ने इस कठिन अवधि के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग को मान्यता दी और दोनों देशों द्वारा अपने क्षेत्रों में महामारी का सामना करने के लिए प्रदान किए गए नेतृत्व की सराहना की।

बैठक ने संयुक्त कार्य बल के आज तक के कार्य के माध्यम से प्राप्त सकारात्मक परिणामों की समीक्षा की और दोनों पक्ष आर्थिक विकास की संभावना के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के तरीकों की खोज जारी रखने पर सहमत हुए।

बैठक के दौरान भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के लिए चल रही चर्चा की प्रगति की समीक्षा की गई, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण और व्यापक कदम होगा। इस संबंध में, दोनों पक्षों ने एक संतुलित करार की दिशा में तेजी लाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को काफी गहरा करेगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करेगा।

प्रतिभागियों ने यूएई और भारत की लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय निवेश संधि में संशोधन के लिए चल रहे प्रयासों पर भी विचार किया और वार्ता प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त करने के महत्व को नोट किया।

बैठक में, भारत में प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभु निवेश संस्थाओं से आगे निवेश की सुविधा के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीकों और प्रोत्साहनों की खोज पर भी

चर्चा हुई। इस संदर्भ में

दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए  
विशेष आर्थिक क्षेत्र

1712. डॉ. सुजय विखे पाटील:  
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:  
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:  
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:  
श्री उन्मेश भैर्यासाहेब पाटिल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेडएस) से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण और कृषि उद्योगों की संख्या का पता लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;
- (ग) क्या एसईजेड में ऐसे उद्योग सरकार के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम हैं;
- (घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त उद्योगों में सुरक्षा मानकों के बेहतर और सख्त क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): जी, भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुल 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को अनुमोदित किया गया है। इन 8 एसईजेड में से 7 को अधिसूचित कर दिया गया है और 3 एसईजेड प्रचालन में हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कोई एसईजेड नहीं है। भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के एसईजेड का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध में है। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसईजेड में खाद्य और कृषि उद्योग इकाइयों द्वारा सृजित राज्य-वार राजस्व निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)			
राज्य-वार	2019-20	2020-21	2021-22 (30.09.2021 तक)
आंध्र प्रदेश	7.80	14.41	5.12
गुजरात	21.94	41.32	25.65
कर्नाटक	6.93	19.64	7.06
केरल	7.22	6.08	3.39
मध्य प्रदेश	17.65	13.23	6.44
महाराष्ट्र	0.02	0.01	0.05
उत्तर प्रदेश	0.02	0.01	0.01
पश्चिम बंगाल	0.17	0.01	0.31
कुल	61.75	94.71	48.03

(ङ): एसईजेड में इकाइयां संबंधित अधिनियम/नियमों में निर्धारित आवश्यक सुरक्षा मानकों को अपना रही हैं।

8 दिसंबर, 2021 के लिए लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1712 का अनुबंध

भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड की सूची				
क्रं.सं.	डेवलपर का नाम	एसईजेड का प्रकार	स्थान	एसईजेड स्थिति
1	केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (किंफ्रा)	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	मलप्पुरम जिला, केरल	प्रचालन
2	पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	प्रचालन
3	सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	प्रचालन
4	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	दिमापुर नागालैंड	अधिसूचित
5	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग सेज लिमिटेड	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	सोनीपत, हरियाणा	अधिसूचित
6	सीसीएल उत्पाद (भारत) लिमिटेड	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित
7	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	दक्षिण त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा	अधिसूचित
8	अक्षयपात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	मेहसाणा, गुजरात	औपचारिक अनुमोदन

\*\*\*\*\*

दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रम गहन क्षेत्र से निर्यात

1743 श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि 2021 की शुरुआत में एक अस्थायी वृद्धि के पश्चात् रेडीमेड वस्त्र, चमड़ा और कृषि और संबद्ध उत्पादों (चावल, फल और सब्जियां, मांस, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद और समुद्री भोजन) जैसे श्रम गहन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि धीमी हो गई है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जनवरी से अक्टूबर, 2020 और जनवरी से अक्टूबर, 2021 महीनों में सभी वस्त्रों के रेडीमेड गार्मेंट्स, चमड़ा और चमड़े के उत्पादों और कृषि और संबद्ध उत्पादों नामतः चावल, फल और सब्जियों, मांस, डेयरी और कुक्कुट उत्पादों और समुद्री उत्पादों का वृद्धि सहित निर्यात के मूल्य का माह-वार मूल्य **अनुलग्नक-I** पर है। इन श्रम-सघन उत्पादों के निर्यात में फरवरी, 2021 से अक्टूबर, 2021 तक पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

(ख): सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- (i) दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को की गई विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा के आधार पर श्रम-सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन को बढ़ाया गया।
- (ii) कोविड-19 महामारी स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015-20) को एक वर्ष अर्थात् 31.03.2022 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों से विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है। निर्यात बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता मीट (बीएसएम) आयोजित की गई हैं।
- (iv) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडीईए), टी-बोर्ड, कॉफी बोर्ड और मसाला बोर्ड हेतु निर्यात संवर्धन स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

- (v) कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल-भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल-भाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने के लिए-एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम- 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन और विपणन सहायता' ।
- (vi) 01.01.2021 से निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम और राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम की शुरुआत की गई है ।
- (vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान के द्वारा जिलों का निर्यात हब के तौर पर संवर्द्धन, इन उत्पादों के निर्यात के लिए बाधाओं को दूर करना और जिले में रोजगार सृजित करने हेतु स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता देना ।
- (viii) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए के उपयोग को बढ़ाने हेतु उद्गम प्रमाण पत्र के लिए कॉमन डिजीटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है ।
- (ix) हमारे व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है ।
- (x) विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र राहत उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई जिनका निर्यात में बड़ा हिस्सा है, का समर्थन करने के लिए कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पैकेज की घोषणा की गई ।

\*\*\*\*\*

दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण:

जनवरी से अक्टूबर, 2020 और जनवरी से अक्टूबर, 2021 हेतु श्रम-सघन उत्पादों का माह-वार निर्यात और इसकी वृद्धि दर।

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर)

वस्तु	सभी वस्त्रों के आरएमजी	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	चावल	फल और सब्जियां	मांस, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद	समुद्री उत्पाद	समग्र
जनवरी, 20	1451.4	406.9	598.8	181.6	324.1	431.8	2962.8
जनवरी, 21	1295.7	331.2	756.5	225.8	298.1	424.4	2907.3
प्रतिशत परिवर्तन	<b>-10.7</b>	<b>-18.6</b>	<b>26.3</b>	<b>24.3</b>	<b>-8.0</b>	<b>-1.7</b>	<b>-1.9</b>
फरवरी, 20	1474.4	381.3	698.7	289.7	243.4	441.1	3087.5
फरवरी, 21	1349.1	298.9	913.7	280.0	307.7	440.1	3149.4
प्रतिशत परिवर्तन	<b>-8.5</b>	<b>-21.6</b>	<b>30.8</b>	<b>-3.3</b>	<b>26.4</b>	<b>-0.2</b>	<b>2.0</b>
मार्च, 20	1118.0	260.8	668.2	303.3	225.6	393.6	2575.8
मार्च, 21	1425.6	317.8	1114.3	376.0	344.7	554.3	3578.2
प्रतिशत परिवर्तन	<b>27.5</b>	<b>21.9</b>	<b>66.8</b>	<b>24.0</b>	<b>52.8</b>	<b>40.8</b>	<b>38.9</b>
अप्रैल, 20	126.3	22.3	548.0	203.3	138.8	264.5	1038.6
अप्रैल, 21	1297.3	289.6	885.7	254.9	345.3	549.9	3072.8
प्रतिशत परिवर्तन	<b>927.1</b>	<b>1201.4</b>	<b>61.6</b>	<b>25.4</b>	<b>148.8</b>	<b>107.9</b>	<b>195.9</b>
मई, 20	516.6	106.3	685.2	191.5	141.1	429.9	1640.6
मई, 21	1106.7	271.1	771.8	177.9	347.6	574.3	2675.0
प्रतिशत परिवर्तन	<b>114.2</b>	<b>155.1</b>	<b>12.6</b>	<b>-7.1</b>	<b>146.5</b>	<b>33.6</b>	<b>63.1</b>
जून, 20	803.4	244.9	681.3	189.8	203.7	482.8	2123.0
जून, 21	1001.6	325.0	741.3	205.4	329.6	645.7	2602.9
प्रतिशत परिवर्तन	<b>24.7</b>	<b>32.7</b>	<b>8.8</b>	<b>8.3</b>	<b>61.8</b>	<b>33.7</b>	<b>22.6</b>
जुलाई, 20	1063.2	333.0	759.4	214.9	376.9	475.0	2747.3
जुलाई, 21	1388.4	387.8	704.4	216.7	256.4	701.5	2953.5
प्रतिशत परिवर्तन	<b>30.6</b>	<b>16.5</b>	<b>-7.3</b>	<b>0.8</b>	<b>-32.0</b>	<b>47.7</b>	<b>7.5</b>
अगस्त, 20	1083.9	356.2	663.1	196.0	324.7	455.6	2623.8
अगस्त, 21	1236.9	385.9	716.6	219.9	274.9	686.6	2834.1
प्रतिशत परिवर्तन	<b>14.1</b>	<b>8.3</b>	<b>8.1</b>	<b>12.2</b>	<b>-15.4</b>	<b>50.7</b>	<b>8.0</b>
सितम्बर, 20	1190.1	358.4	725.1	191.8	390.7	602.1	2856.2
सितम्बर, 21	1300.4	385.0	770.3	234.7	348.9	678.4	3039.1
प्रतिशत परिवर्तन	<b>9.3</b>	<b>7.4</b>	<b>6.2</b>	<b>22.3</b>	<b>-10.7</b>	<b>12.7</b>	<b>6.4</b>
अक्टूबर, 20	1177.3	320.8	685.4	165.6	401.8	684.1	2750.9
अक्टूबर, 21	1253.1	371.0	688.9	224.6	383.7	807.8	2921.3
प्रतिशत परिवर्तन	<b>6.4</b>	<b>15.7</b>	<b>0.5</b>	<b>35.7</b>	<b>-4.5</b>	<b>18.1</b>	<b>6.2</b>

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, वर्ष 2021 हेतु आंकड़े अनंतिम हैं